(50)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

R 1094-I-17

(1) गिरधारी वल्द हरदयाल उम्र 40 वर्ष, जाति नाई, पेशा काश्तकारी,

(2) शिवकुमार आ0 अन्नीलाल उम्र 28 वर्ष, जाति धानक, पेशा काश्तकारी,

(3) सुखराम आ0 डिल्ली उम्र 57 वर्ष, जाति धानक,

(4) घनश्याम आ0 मोहनलाल उम्र 67 वर्ष, जाति बरेठा (धोबी), पेशा काश्तकारी निवासी ग्राम टेकापार, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)।

—————— पुनरीक्षणकर्ता

श्री .... द्वारा आज दि 6.4.17 को प्रस्तुत

6.4.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट

बनाम

भू-अर्जन अधिकारी एवं कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर

——————— उत्तरवादी

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय नरसिंहपुर द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार वृत करपगांव तहसील गाडरवारा के रा.मा. कमांक 01अ/06(अ) वर्ष 2016–17 मौजा टेकापार प.ह.नं. 165, रा.नि.मं. करपगांव, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर में पारित आदेश दिनांक 19/01/2017 से परिवेदित होकर निम्न अनुसार तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते है :–

06.04.17
(L.S. Dhawal)

तथ्य

(1) यह कि पुनरीक्षणकर्तागण के पूर्वधिकारी हरदयाल आ0 धनसिंह नाई, अन्नीलाल वल्द बिहारी धानक एवं डिल्ली आ0 ग्यारसी धानक, याने पुनरीक्षणकर्तागण के पूर्वजों को न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार गाडरवारा द्वारा रा.मा.क. 14अ/19 वर्ष 1975–76 में मौजा टेकापार नं.वं. 190, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर में ख.नं. 16, के रकवा में पट्टा आवंटित किये गये थे और उक्त पट्टे के रकवे पर पुनरीक्षणकर्तागण के पूर्वज एवं उनके फौत होने के उपरांत काविज होकर काश्त कर रहे है।

(2) यह कि वर्तमान समय में मौजा टेकापार तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर स्थित ख.नं. 16 एवं 67 की भूमि में से भारत सरकार के द्वारा नरसिंहपुर जिले में लगाये जा रहे एन.टी.पी.सी. पॉवर प्रोजेक्ट की रेल लाइन हेतु उक्त खसरा नम्बर का रकवा अधिग्रहण किया जा रहा है।

(3) यह कि जब उक्त भूखण्ड पट्टे पर पुनरीक्षणकर्तागण के पूर्वजों को पट्टे पर प्रदान की गई थी तब उसका प्रकरण पंजीवद्ध कर सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त पट्टे

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 1094–एक/17 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/12/17	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, वृत सिहोरा/करपगांव द्वाराप्रकरण क्रमांक 1ए/6(अ) /2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19–1–17 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रकरण की प्रचलनशीलता तथा आपत्तिकर्ता अन्नीलाल को पक्षकार बनाए जाने संबंध प्रस्तुत आवेदन पर दिए गए तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि आवेदकों द्वारा कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उन्हें आवंटित भूमि को नक्शे में अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के कारण उन्हें मुआवजे की राशि से वंचित होना पड़ रहा है आवेदन में आवश्यक कार्यवाही कर मुआवजे की राशि प्रदान कराने का अनुरोध किया गया है । कलेक्टर ने उक्त आवेदन अतिरिक्त तहसीलदार को भेजा । अतिरिक्त तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा यह माना है कि रा0प्र0क्र0 14/अ–19/1975–76 में तत्समय ख0नं0 16 व 67 बटांक कर कोई नक्शा तैयार नहीं किया गया, जो नक्शा उक्त बंटन प्रकरण के साथ संलग्न है वह अवैधानिक है व शून्य प्रभाव रखता है । उनके द्वारा आवेदकों द्वारा वर्ष 1975–76 के आधार पर चाहा गया बंटांक संशोधन का आवेदन पत्र खारिज किया । अति0 तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उक्त आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलनीय है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है, निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जा सकती है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है । आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । प्रशा0 सदस्य	